



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2019/श्रावण 4, 1941

No. 2442]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2019/SHRAVANA 4 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. 2682(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के पुणे, ठाणे और रायगढ़ जिलों में स्थित है;

और, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू एल

पी.1045/सी.आर.588/(II)/एफ-5, दिनांक 16 सितंबर 1985 के द्वारा 130.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है;

और, अभयारण्य पक्षी-जीव के लिए जाना जाता है जिसमें जिसमें भारतीय झबरा, छोटा जलकौआ, छोटा इग्रेट, भारतीय बगुला, एशियन ओपनबिल, ब्लैक विंगट काइट, ब्राह्मणी काइट शिकारा, रेड वाटलैंड टिटहरी, सामान्य सैंडपाइपर, चित्तीदार कबूतर आदि सहित पक्षी प्रजातियां हैं।

और, संरक्षित क्षेत्र में बहुत अधिक जीवजंतुओं और वनस्पति की विविधता है साथ में स्तनधारियों की लगभग 22 प्रजातियाँ, सरीसृपों की लगभग 25 प्रजातियाँ, और उभयचरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं; जबकि इस क्षेत्र की वनस्पति का प्रतिनिधित्व "8ए/सी2 पश्चिमीउप-उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन" करते हैं जिसमें ये प्रजातियाँ पाई जाती है नेवला (मेगीफेरा इंडिका), जाम्बुल (शिजिगियम कुम्मीनी), पिसा (एक्टिनोडाफन हूकर), शिशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया), अनजनी (मेमेसिक्लोन), बेहेड (टर्मिनलिया बेलेरिका), ऐन (टर्मिनलिया टोमेन्टोसा), मोहा (मधुका इंडिका), पलास (बुटेया मोनोस्पर्म), पंगरा (एरीथ्रीना वरिइगाटा), खैर (अकैशिया कटेचु), काकड (गरुगा पिन्नाटा), शिशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया), टीवास (ओजिइनिया ओयनेंसिस) आदि के अतिरिक्त वृक्ष और करवांद (करिंसा करांडूस), करमती (ग्रेविया विल्लोसा), धायती (वूडफोरदीया फ्रूटीकोसा), करवी (करविया कल्लोसा), निरगुडी (वितेक्स नेगुंडो), अदूल्सा (अथाटोडा वासिका) आदि के अलावा झाड़ी और घास शामिल है;

और, संरक्षित क्षेत्र महत्त्वपूर्ण वन्यजीवों जैसे तेंदुआ, बनविलार, छोटा भारतीय मुसंग, धारीदार लकड़बग्घा, मुंजक, पश्चिमी हनुमान लंगूर, सामान्य ग्रे नेवला आदि का भी आश्रय प्रदान करता है;

और, यह अभयारण्य मानव बस्तियों और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अति निकट होने से अभयारण्य के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने और ऐसे क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है;

और, इस अभयारण्य के वन वर्षा को अवरूद्ध करके भूजल जलभृत को पुनर्भरण में सहायता करते हैं और मिट्टी के कटाव को कम करके नदियों और धाराओं की सुरक्षा करते हैं और अभयारण्य में कई धाराओं का अच्छा नेटवर्क बना हुआ है जो पूरे अभयारण्य में फैली हुई है, लगभग सभी धाराएं मौसमी प्रकृति की हैं; इनसे भीमा नदी बनती है, जो कि प्रमुख बांध चक्कामन में जाती है, जबकि घोड़ नदी और बूबारा नदी में प्रमुख बांध है, जिसका बाबू गेनू जलाशय नाम दिम्भा बांध है;

और, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला पुणे, ठाणे और रायगढ़ के महाराष्ट्र राज्य में भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 80.09 वर्ग किलोमीटर है।

- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि

की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नए अतिक्रमण और वन भूमि पर उनका नियमानुकूल।	13 दिसम्बर, के बाद प्रतिषिद्ध होगा।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी :- परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति

		से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव के निस्सारण से बचा

	जल/बहिर्वाह का निस्सारण ।	जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	पवन चक्कियां और टरबाइन	निगरानी समिति द्वारा और लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	सिंचाई विभाग द्वारा जलमग्न क्षेत्र से बाहर जाना।	अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के अधीन जलमग्न क्षेत्र के सरकारी टैंकों में खेती के लिए नियम करना
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.स.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, रायगढ़	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	जिला कलेक्टर ठाणे का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पुणे	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	शहर योजना कार्यालय ठाणे का एक प्रतिनिधि,	सदस्य;
(vii)	शहर योजना कार्यालय रायगढ़का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(x)	जैव विविधता बोर्ड एम एस नागपुर का एक प्रतिनिधि,	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक, पुणे	सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक, रोहा	सदस्य;
(xiii)	उप वन संरक्षक, जुन्नर	सदस्य-सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/97/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-।

महाराष्ट्र राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी जोन और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण।

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं.	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भीवदे बी के	जून्नर	197	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196
			198	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196 निजी गट.सं.199	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196
			199	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196 निजी गट.सं.200	निजी गट.सं.198	आर एफ. गट सं. 196
			200	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट.सं.202, 201	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट.सं.199
			202	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट.सं.203	निजी गट.सं.201	निजी गट.सं.200
			203	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट.सं.204	निजी गट.सं.201	निजी गट.सं.202

			204	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट.सं.205	निजी गट.सं.201	निजी गट.सं.199
			205	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट.सं.201	निजी गट.सं.203
2.	हतविज.	जूझार	237	आर एफ. गट सं. 236	आर एफ. गट सं. 236	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.204
			238	आर एफ. गट सं. 236	निजी गट.सं.237	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.238
			239	आर एफ. गट सं. 236	निजी गट.सं.238	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.239
			240	आर एफ. गट सं. 236	निजी गट.सं.239	दोन की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 236
3.	दोन	अम्बेगांव	57	निजी गट.सं.60	निजी गट.सं.64,65,66	आर एफ. गट सं. 56	निजी गट.सं.58,59
			58	निजी गट.सं.60	निजी गट.सं.57, आर एफ. गट सं. 56	आर एफ. गट सं. 8 और गधाने की ग्राम सीमा	पिम्परगन की ग्राम सीमा
			59	आर एफ. गट सं. 61 और निजी गट.सं.60	निजी गट.सं.60,58	पिम्परगन की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 61
			60	आर एफ. गट सं. 61	निजी गट.सं.62,63,64	निजी गट.सं.57,59,58	आर एफ. गट सं. 61
4.	अघान	अम्बेगांव	17	पिम्परगन की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 8	आर एफ. गट सं. 5 और निजी गट.सं.10	आर एफ. गट सं. 5 और दोन की ग्राम सीमा
			71	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.72	निजी गट.सं.36, 70	निजी गट.सं.69, आर एफ. गट सं. 36
			72	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.73,74	निजी गट.सं.36	निजी गट.सं.71
			73	दोन की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 5, निजी गट.सं.14	निजी गट.सं.74	निजी गट.सं.72
5.	नहावेद	अम्बेगांव	160	दोन की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट.सं.159
			159	अहूपे की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.160	निजी गट.सं.158	आर एफ. गट सं. 155
			154	निजी गट.सं.156	निजी गट.सं.145, 152, 153	अहूपे की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 155
			145	निजी	निजी गट.सं.144,	निजी	निजी

				गट.सं.156 और आर एफ. गट सं. 161	143.	गट.सं.146, 147	गट.सं.154, 152, 153.
			143	आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161	अहूपे की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
			144	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.145	निजी गट.सं.145
			152	निजी गट.सं.145	निजी गट.सं.146, 151.	अहूपे की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.153
			153	निजी गट.सं.145	निजी गट.सं.152	अहूपे की ग्राम सीमा	अहूपे की ग्राम सीमा और निजी गट.सं.154
			156	निजी गट.सं.158 और आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट.सं.144, 145, 154.	आर एफ. गट सं. 155 और निजी गट.सं.157
			157	निजी गट.सं.158	निजी गट.सं.158, 156	आर एफ. गट सं. 155	आर एफ. गट सं. 155
			158	निजी गट.सं.159	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट.सं.146, 145	आर एफ. गट सं. 155 और निजी गट.सं.157
			146	निजी गट.सं.145	निजी गट.सं.147, 148, 149.	निजी गट.सं.150, 151.	निजी गट.सं.152
			147	निजी गट.सं.145	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.148	निजी गट.सं.146

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
			148	निजी गट.सं.147	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.149	निजी गट.सं.146
			106	निजी गट.सं.107	निजी गट.सं.107	निजी गट.सं.107	निजी गट.सं.107
			107	आर एफ. गट सं.161 और	आर एफ. गट सं.105	सकरी की ग्राम सीमा	अहूपे की ग्राम सीमा और

				निजी गट.सं.108			सकरी की ग्राम सीमा
			74	निजी गट.सं.101, 75	निजी गट.सं.75 और आर एफ. गट सं.73	सकरी की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं.105
			47	निजी गट.सं.41	निजी गट.सं.43, 44, 45, 46 और आर एफ. गट सं.73	आर एफ. गट सं.73 और निजी गट.सं.68	निजी गट.सं.48, 55, 56, 57, 59.
			46	निजी गट.सं.45	पटान की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं.73	निजी गट.सं.47
			45	निजी गट.सं.44	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.46	निजी गट.सं.47
			43	निजी गट.सं.41	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.44	निजी गट.सं.47
			41	निजी गट.सं.34	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.43	निजी गट.सं.48
			34	निजी गट.सं.35	निजी गट.सं.32, 33	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.39, 41.
			33	निजी गट.सं.27	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.34	निजी गट.सं.32
			27	निजी गट.सं.208, 209.	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.33	निजी गट.सं.32, 26, 28.
			208	निजी गट.सं.207	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.27	निजी गट.सं.209, 210, 211
			209	निजी गट.सं.210	निजी गट.सं.208	निजी गट.सं.27	निजी गट.सं.26
			210	निजी गट.सं.211	निजी गट.सं.208	निजी गट.सं.209	निजी गट.सं.213
			207	निजी गट.सं.206	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.208	निजी गट.सं.211
			206	निजी गट.सं.204, 205	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.207	निजी गट.सं.211, 203
			205	निजी गट.सं.204	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.206	निजी गट.सं.204, 206

			204	निजी गट.सं.200	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.205, 206.	निजी गट.सं.201, 202, 203, 211.
			200	आर एफ. गट सं.191	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.204	निजी गट.सं.201
			198	निजी गट.सं.197	पटान की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं.191	आर एफ. गट सं.191
			197	निजी गट.सं.196, 195	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.198	आर एफ. गट सं.191
			196	निजी गट.सं.193, 194	निजी गट.सं.195 और पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.197	निजी गट.सं.192
			195	आर एफ. गट सं.191	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.197	निजी गट.सं.196, 194,
			70	आर एफ. गट सं.73	आर एफ. गट सं.73	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.71
			71	आर एफ. गट सं.73	निजी गट.सं.70	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.72
			72	आर एफ. गट सं.73	निजी गट.सं.71	सकरी की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं.73
			162	अघाने की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.163	आर एफ. गट सं.161	आर एफ. गट सं.161
			149	निजी गट.सं.148	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.150	निजी गट.सं.146, 151.
			150	निजी गट.सं.149	निजी गट.सं.143	अहूषे की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.151.
			199	निजी गट.सं.198	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.200	आर एफ. गट सं.191
6.	तिरपद	अम्बेगांव	36	निजी गट.सं.37	आर एफ. गट सं.41.	निजी गट.सं.33	आर एफ. गट सं.41.
			37	निजी गट.सं.38	आर एफ. गट सं.41.	निजी गट.सं.36	आर एफ. गट सं.41.
			38	निजी गट.सं.39	आर एफ. गट सं.41.	निजी गट.सं.37	आर एफ. गट सं.41.
			39	निजी गट.सं.40	आर एफ. गट सं.41.	निजी गट.सं.38	आर एफ. गट सं.41.

			40	आर एफ. गट सं.41.	आर एफ. गट सं.41.	निजी गट.सं.39	आर एफ. गट सं.41.
--	--	--	----	------------------	------------------	---------------	------------------

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
7	नानावाडे	अम्बेगांव	257	निजी गट.सं.258	आर एफ. गट सं.262	निजी गट.सं.256	पटान की ग्राम सीमा
			258	निजी गट.सं.261	आर एफ. गट सं.262	निजी गट.सं.257	पटान की ग्राम सीमा
			259	तिरपाड की ग्राम सीमा	तिरपाड की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.260	पटान की ग्राम सीमा
			260	तिरपाड की ग्राम सीमा	तिरपाड की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.261, 258.	पटान की ग्राम सीमा
			261	निजी गट.सं.260	तिरपाड की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.258 और आर एफ. गट सं.262	निजी गट.सं.257
			251	निजी गट.सं.250	निजी गट.सं.248, 247.	निजी गट.सं.232	निजी गट.सं.252, 253, 254.
			252	निजी गट.सं.253	निजी गट.सं.251	निजी गट.सं.232	पटान की ग्राम सीमा
			253	निजी गट.सं.254	निजी गट.सं.250, 251.	निजी गट.सं.252	पटान की ग्राम सीमा
			254	निजी गट.सं.255	निजी गट.सं.250	निजी गट.सं.253	पटान की ग्राम सीमा
			255	निजी गट.सं.256	आर एफ. गट सं.162	निजी गट.सं.268, 269, 249, 250, 254.	पटान की ग्राम सीमा
			256	निजी गट.सं.257	आर एफ. गट सं.162	निजी गट.सं.255	पटान की ग्राम सीमा
			229	निजी गट.सं.230	निजी गट.सं.233	निजी गट.सं.228	पटान की ग्राम सीमा
			230	निजी	निजी गट.सं.233	निजी	पटान की ग्राम

				गट.सं.231		गट.सं.229	सीमा
			231	निजी गट.सं.232	निजी गट.सं.233	निजी गट.सं.230	पटान की ग्राम सीमा
			232	निजी गट.सं.252, 251	निजी गट.सं.233, 247.	निजी गट.सं.231	पटान की ग्राम सीमा
			233	निजी गट.सं.247.	निजी गट.सं.237, 238, 241, 235.	निजी गट.सं.227	निजी गट.सं.228, 229, 230, 231, 232.
			110	आर एफ. गट सं.108	निजी गट.सं.109	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.111
			111	आर एफ. गट सं.108	निजी गट.सं.110	सकरी की ग्राम सीमा	सकरी की ग्राम सीमा और पटान की ग्राम सीमा
			112	निजी गट.सं.113 और पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.113	आर एफ. गट सं.108	पटान की ग्राम सीमा
			113	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.115, 114.	आर एफ. गट सं.108	निजी गट.सं.112
			114	निजी गट.सं.115	निजी गट.सं.107	आर एफ. गट सं.108	निजी गट.सं.113
			115	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.116, 107	निजी गट.सं.114	निजी गट.सं.113, 117.
			116	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.107	निजी गट.सं.115	निजी गट.सं.115
			117	आर एफ. गट सं.125 और पटान की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.118 और आर एफ. गट सं.125	निजी गट.सं.106, 107, 115, 116, 112, 113.	पटान की ग्राम सीमा
			129	निजी गट.सं.130	निजी गट.सं.128, 127.	आर एफ. गट सं.125	पटान की ग्राम सीमा
			130	निजी गट.सं.138	निजी गट.सं.131, 128	निजी गट.सं.129	पटान की ग्राम सीमा
			131	निजी	निजी गट.सं.137,	निजी	निजी

				गट.सं.138	136, 132.	गट.सं.128	गट.सं.130
			137	निजी गट.सं.139	निजी गट.सं.141, 142, 136.	निजी गट.सं.131, 132.	निजी गट.सं.131
			138	निजी गट.सं.224	निजी गट.सं.139.	निजी गट.सं.131, 137.	पटान की ग्राम सीमा
			139	निजी गट.सं.224	निजी गट.सं.140, 141.	निजी गट.सं.137.	निजी गट.सं.138
			224	निजी गट.सं.225, 226.	आर एफ. गट सं.220 और निजी गट.सं.222	निजी गट.सं.138, 139, 140.	पटान की ग्राम सीमा
			225	निजी गट.सं.227	निजी गट.सं.226	निजी गट.सं.224	पटान की ग्राम सीमा
			226	निजी गट.सं.227	निजी गट.सं.227	निजी गट.सं.224	निजी गट.सं.225
			227	निजी गट.सं.233	निजी गट.सं.235, 234 और आर एफ. गट सं.220	निजी गट.सं.224, 225, 226.	निजी गट.सं.224 और पटान की ग्राम सीमा

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
			228	निजी गट सं.229	निजी गट.सं.233	निजी गट.सं.227	पटान की ग्राम सीमा
			109	आर एफ. गट सं. 108	महालुंग तरफ अम्बेगांव की ग्राम सीमा	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.110.
8	महालुगे तरफ अम्बेगांव	अम्बेगांव	21	निजी गट.सं.26	निजी गट.सं.20, 30	निजी गट.सं.22	निजी गट.सं.24, 25
			22	निजी गट.सं.21, 20.	निजी गट.सं.19	निजी गट.सं.23	निजी गट.सं.24
			23	निजी गट.सं.22	निजी गट.सं.19	सकरी की ग्राम सीमा और	निजी गट.सं.24

						फलोद की ग्राम सीमा	
			24	निजी गट.सं.25	निजी गट.सं.21, 22, 23.	फलोद की ग्राम सीमा	सकरी की ग्राम सीमा
			25	निजी गट.सं.26	निजी गट.सं.21	निजी गट.सं.24	सकरी की ग्राम सीमा
			26	निजी गट.सं.28	निजी गट.सं.28	निजी गट.सं.21, 25.	सकरी की ग्राम सीमा और निजी गट.सं.27
			27	निजी गट.सं.28	निजी गट.सं.26	सकरी की ग्राम सीमा	नानावाडे की ग्राम सीमा
9	पिम्परी	अम्बेगांव	106	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.108	आर एफ. गट सं. 105	आर एफ. गट सं. 105
			107	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.108	निजी गट.सं.106	निजी गट.सं.106
			108	सकरीकी ग्राम सीमा	निजी गट.सं.109	आर एफ. गट सं..105	निजी गट.सं.106, 107
			109	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.110	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट.सं.108
			110	सकरीकी ग्राम सीमा	निजी गट.सं.111	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट.सं.109
			111	सकरीकी ग्राम सीमा	निजी गट.सं.112	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट.सं.110
			112	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.113, 114.	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट.सं.111
			113	निजी गट.सं.114, 115, 118.	निजी गट.सं.119	निजी गट.सं.52	आर एफ. गट सं. 105 और निजी गट.सं.112
			114	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.113	निजी गट.सं.112
			115	निजी गट.सं.114	निजी गट.सं.116, 117	निजी गट.सं.118	निजी गट.सं.113
			116	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.115	निजी गट.सं.117
			117	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.119	निजी गट.सं.118,	निजी गट.सं.114

						115	
			118	निजी गट.सं.117	निजी गट.सं.119	निजी गट.सं.113	निजी गट.सं.115
			119	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.120	निजी गट.सं.52	निजी गट.सं.113, 118, 117.
			120	निजी गट.सं.113	निजी गट.सं.121	निजी गट.सं.52	निजी गट.सं.119
			121	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.42 और आर एफ. गट सं. 122	निजी गट.सं.46, 47, 45, 49, 50.	निजी गट.सं.120, 52.
			123	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.124, 129	आर एफ. गट सं. 122	सकरी की ग्राम सीमा
			124	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.126, 127	निजी गट.सं.125, 129.	निजी गट.सं.123
			125	निजी गट.सं.124	निजी गट.सं.127	निजी गट.सं.129	निजी गट.सं.129
			126	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.128	निजी गट.सं.127	निजी गट.सं.124
			127	निजी गट.सं.126	निजी गट.सं.128	निजी गट.सं.125	निजी गट.सं.124
			128	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.130	निजी गट.सं.129	निजी गट.सं.126, 127.

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
			133	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं.121	निजी गट.सं.120	निजी गट.सं.119
			101	निजी गट.सं.102	निजी गट सं.100	तेरुंगन की ग्राम सीमा	कोनधावल की ग्राम सीमा
			102	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं.105, 100	निजी गट.सं.101	कोनधावल की ग्राम सीमा
			103	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.104	आर एफ. गट सं.105	कोनधावल की ग्राम सीमा
			104	सकरी की ग्राम सीमा	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.105	निजी गट.सं.103

			1	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.3	निजी गट.सं.2	गौथान और निजी गट.सं.130
			2	निजी गट सं.1	निजी गट.सं.3, 4	निजी गट सं.4	गौथान
			3	सकरी की ग्राम सीमा	सकरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं.4	निजी गट.सं.1, 2.
			5	सकरी की ग्राम सीमा	फलोद की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.6, 7.	निजी गट.सं.4.
10	तेरूंगांन	अम्बेगांव	27	निजी गट.सं.28	निजी गट.सं.26	राजपुर की ग्राम सीमा और भीवेगांव की ग्राम सीमा	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			28	आर एफ. गट सं.31	निजी गट.सं.26	निजी गट.सं.27	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			30	आर एफ. गट सं.31	आर एफ. गट सं.31	धागेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.29
			29	आर एफ. गट सं.31	निजी गट.सं.30	धागेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.32 और आर एफ.गट सं. 31
			32	निजी गट.सं.35	निजी गट.सं.33 & आर एफ. गट सं.31	धागेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट सं.36
			33	निजी गट सं.31	निजी गट.सं.34	निजी गट सं.31 और निजी गट.सं.32	निजी गट सं.35
			36	निजी गट.सं.37	निजी गट.सं.35 और निजी गट सं.31	निजी गट.सं.32	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			37	निजी गट.सं.39	निजी गट.सं.38	निजी गट.सं.36	निजी गट.सं.40
			40	निजी गट.सं.41	निजी गट.सं.39, 37.	धागेवाडी की ग्राम सीमा	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			41	निजी गट.सं.42	निजी गट.सं.39	निजी गट.सं.40	धागेवाडी की ग्राम सीमा और कोनधावाल की ग्राम सीमा

			42	निजी गट.सं.44, 45.	निजी गट.सं.43	निजी गट.सं.39, 41	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			45	निजी गट.सं.46	निजी गट.सं.47, 44	निजी गट.सं.42	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			46	निजी गट.सं.49	निजी गट.सं.47, 48.	निजी गट.सं.44, 45	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			49	निजी गट.सं.52, 51.	निजी गट.सं.48, 50	निजी गट.सं.46	धागेवाडी की ग्राम सीमा
			52	आर एफ. गट सं.31	निजी गट.सं.51	निजी गट.सं.49	धागेवाडी की ग्राम सीमा
11	भिवेगांव	खेड	60	आर एफ. गट सं.66	निजी गट.सं.61	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66
			61	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66 और निजी गट.सं.60
			62	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66
			33	आर एफ. गट सं.66	निजी गट.सं.34	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66
			34	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	निजी गट.सं.33
			35	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66	आर एफ. गट सं.66
			37	धागेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.38	आर एफ. गट सं.66 और निजी गट.सं.36	आर एफ. गट सं.66
			38	धागेवाडी की ग्राम सीमा और तेरुंगन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.41	आर एफ. गट सं.66 और निजी गट.सं.39, 40.	निजी गट सं.37
			41	तेरुंगन की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.42	आर एफ. गट सं.66और निजी गट.सं.40.	निजी गट सं.38
			32	आर एफ. गट सं.66	निजी गट.सं.31	निजी गट.सं.154, 156.	भोरगिरी की ग्राम सीमा

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
			154	निजी गट.सं.32	निजी गट.सं.153, 155, 156.	निजी गट.सं.152	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			152	निजी गट.सं.154	निजी गट.सं.147, 149, 151, 153.	निजी गट.सं.145, 143, 142.	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			142	निजी गट.सं.152	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.141	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			141	निजी गट.सं.142	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.140	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			140	निजी गट.सं.141	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.135, 136, 137, 138, 139.	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			135	निजी गट.सं.140	निजी गट.सं.134	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.136
			136	निजी गट.सं.140	निजी गट.सं.135	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.137
			137	निजी गट.सं.140	निजी गट.सं.136	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.138
			138	निजी गट.सं.140	निजी गट.सं.137	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.139
			139	निजी गट.सं.140	निजी गट.सं.138	भोरगिरी की ग्राम सीमा	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			134	निजी गट.सं.143	निजी गट.सं.133	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.135
			133	निजी गट.सं.118, 119.	निजी गट.सं.120	निजी गट.सं.130, 132.	भोरगिरी की ग्राम सीमा और भोमेल की ग्राम सीमा
			143	निजी गट.सं.152.	निजी गट.सं.144, 145.	निजी गट.सं.134	निजी गट.सं.140, 141, 142.
12.	भोमेल	खेड	50	आर एफ. गट सं.53	आर एफ. गट सं.53	खारपद की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं.53

			51	आर एफ. गट सं.53	आर एफ. गट सं.53	खारपद की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं.53
			52	आर एफ. गट सं.53	आर एफ. गट सं.53	आर एफ. गट सं.53	आर एफ. गट सं.53
			119	निजी गट.सं.120	आर एफ. गट सं.91	भोरगिरी की ग्राम सीमा और आर एफ. गट सं.91	भोरगिरी की ग्राम सीमा
			120	निजी गट.सं.121	आर एफ. गट सं.91	निजी गट सं.119	आर एफ. गट सं.124 और भोरगिरी की ग्राम सीमा
			121	निजी गट.सं.122	आर एफ. गट सं.91	निजी गट.सं.120	आर एफ. गट सं.124
			122	निजी गट.सं.123	आर एफ. गट सं.91	निजी गट.सं.121	आर एफ. गट सं.124
			123	निजी गट.सं.125	निजी गट.सं.127	निजी गट.सं.123 और आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.124
			129	आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.91
			149	आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.91	आर एफ. गट सं.91
			125	भिवेगांव की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.127	निजी गट.सं.123	आर एफ. गट सं.124
			126	भिवेगांव की ग्राम सीमा	निजी गट.सं.125	निजी गट.सं.125	निजी गट.सं.125
13.	खरपद	खेड	278	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	निजी गट सं.279
			279	आर एफ. गट सं.214	निजी गट.सं.279 और आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214
			280	निजी गट सं.281	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214
			281	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	निजी गट.सं.280	आर एफ. गट सं.214
			282	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214	आर एफ. गट सं.214

14	दोगरंहव	मुरबाद	230 पी टी.	आर एफ.221, 205	आर एफ. 221, 205	वाहील की ग्राम सीमा	आर एफ.205
			204	आर एफ.221, 205	निजी गट सं.233	निजी गट सं.233	आर एफ.221, 205
			203 पी टी.	निजी गट सं.233	निजी गट सं.233	निजी गट सं.233	निजी गट सं.233
			201 पी टी.	निजी गट सं.202	निजी गट सं.202	निजी गट सं.201 पी टी.	निजी गट सं.202
			199 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.178	संरक्षित वन क्र.सं.1178	निजी गट सं.199 पी टी.	निजी गट सं.202
			195 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.178	संरक्षित वन क्र.सं.178	निजी गट सं.193	संरक्षित वन क्र.सं.178
			194 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.178	संरक्षित वन क्र.सं.177	निजी गट सं.193	निजी गट सं.193
			192 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.176	संरक्षित वन क्र.सं.175	निजी गट सं. 188	निजी गट सं.193

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
			193 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.178	निजी क्र.सं192	निजी क्र.सं188	निजी क्र.सं193 पी टी
			188 पी टी.	निजी क्र.सं177	संरक्षित वन क्र.सं.174	निजी क्र.सं185	संरक्षित क्र.सं.188 पी टी
			181	संरक्षित वन क्र.सं.182	संरक्षित वन क्र.सं.182	संरक्षित वन क्र.सं.182	आर एफ.205, 221.
			180	आर एफ.221, 205	सिधागढ की ग्राम सीमा	संरक्षित वन क्र.सं.182	आर एफ.205, 221
			227	संरक्षित वन क्र.सं.206 सी.	आर एफ. गट सं...206 बी	निजी क्र.सं156	निजी क्र.सं156
			228	आर एफ. 206 बी.	आर एफ. गट सं...206 बी	संरक्षित वन क्र.सं.206 सी.	निजी क्र.सं153
			225 पी टी.	निजी क्र.सं 83	संरक्षित वन क्र.सं.215	निजी क्र.सं134	निजी क्र.सं84
			224	निजी क्र.सं 137	निजी क्र.सं138	निजी क्र.सं224	निजी क्र.सं128

			पी टी.			पी टी.	
			138 पी टी.	निजी क्र.सं135		आर एफ. गट सं.223, 206 बी.	निजी क्र.सं224
			134 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.215	आर एफ. गट सं.223 , 206 बी.	निजी क्र.सं135	निजी क्र.सं134 पी टी
			83 पी टी.	निजी क्र.सं82.	आर एफ. गट सं.223 , 206 बी	संरक्षित वन क्र.सं.215	निजी क्र.सं83 पी टी.
15	जमबुरद	मुरबाद	113	निजी क्र.सं120	निजी क्र.सं120	निजी क्र.सं120	निजी क्र.सं120
			4	नदी	आर एफ.123	आर एफ.123	निजी क्र.सं5
			5	नदी	निजी क्र.सं4	आर एफ.123 और निजी क्र.सं6.	निजी क्र.सं6
			6	नदी और निजी क्र.सं5	निजी क्र.सं5 और आर एफ.121	निजी क्र.सं7 और आर एफ.123	निजी क्र.सं7,8
			7	नदी और निजी क्र.सं6	निजी क्र.सं6	निजी क्र.सं6	निजी क्र.सं8
			8 पी टी.	नदी	निजी क्र.सं7 और आर एफ. 121	दोनगरंहव की ग्राम सीमा	निजी क्र.सं8 पी टी.
16	खानीवारे	मुरबाद	36	निजी क्र.सं35 और संरक्षित वन क्र.सं.98	संरक्षित वन क्र.सं.98	संरक्षित वन क्र.सं.97	निजी क्र.सं97
			30 पी टी.	निजी क्र.सं28 पी टी	निजी क्र.सं28 पी टी	निजी क्र.सं28 पी टी.	निजी क्र.सं 28 पी टी.
			28 पी टी.	निजी क्र.सं28 पी टी	निजी क्र.सं26, 27	संरक्षित वन क्र.सं.98 और निजी क्र.सं30पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.96 और निजी क्र.सं28 पी टी, 29, 30
			26 पी टी.	निजी क्र.सं24, 25	निजी क्र.सं27	निजी क्र.सं28	निजी क्र.सं28 पी टी.
			27 पी टी.	निजी क्र.सं 27 पी टी.	आर एफ. 100.	आर एफ. 100.	निजी क्र.सं26, 28
17	नारीवाली	मुरबाद	136 पी टी.	निजी क्र.सं 36पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.146	नदी	नदी
			147	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152


			148	संरक्षित वन क्र.सं.152	निजी क्र.सं149	निजी क्र.सं149	संरक्षित वन क्र.सं.152
			149	निजी क्र.सं148	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152
			48	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152	संरक्षित वन क्र.सं.152
18	उचाल	मुरबाद	142	संरक्षित वन क्र.सं.170	संरक्षित वन क्र.सं.170	नारीवाली की ग्राम सीमा	नारीवाली की ग्राम सीमा
			140 पी टी.	निजी क्र.सं139	संरक्षित वन क्र.सं.170	संरक्षित वन क्र.सं.170	निजी क्र.सं140 पी टी.
			132 पी टी.	निजी क्र.सं131	आर एफ. गट सं...175	संरक्षित वन क्र.सं.	निजी क्र.सं137
			131 पी टी.	निजी क्र.सं130	आर एफ. गट सं...175 और संरक्षित वन क्र.सं.173	निजी क्र.सं132	निजी क्र.सं131 पी टी.
			129 पी टी.	निजी क्र.सं128	आर एफ. गट सं...175 और संरक्षित वन क्र.सं.172	निजी क्र.सं130	निजी क्र.सं129 पी टी.
			130 पी टी.	निजी क्र.सं129	निजी क्र.सं129	निजी क्र.सं131 और संरक्षित वन क्र.सं.	निजी क्र.सं130 पी टी.

क्र.सं.	ग्राम	तालुका	गट सं	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8
19	देहरी	मुरबाद	83	निजी क्र.सं 3	संरक्षित वन क्र.सं.88	आर एफ. 89	उचाल की ग्राम सीमा
			81 पी टी.	निजी क्र.सं 81 पी टी.	खोपोवाली की ग्राम सीमा	संरक्षित वन क्र.सं.88	संरक्षित वन क्र.सं.88
			3 पी टी.	निजी क्र.सं 3 पी टी.	संरक्षित वन क्र.सं.88	संरक्षित वन क्र.सं.88 और निजी क्र.सं 83	उचाल की ग्राम सीमा और निजी क्र.सं 83
20	सकुरली	मुरबाद	24 पी टी.	24 पी टी.	नारीवाली की ग्राम सीमा	खानीवारी	24 पी टी.
21	खांदास	करजात		आर एफ. 410	आर एफ. 410	आर एफ. 410	आर एफ. 410

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल


मानचित्र



उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का

मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
ए	उ 19° 12' 35.80"	पू 073° 36' 45.85"
बी	उ 19° 12' 54.35"	पू 073° 37' 24.17"
सी	उ 19° 08' 28.17"	पू 073° 36' 32.33"
डी	उ 19° 10' 28.96"	पू 073° 32' 53.21"
ई	उ 19° 07' 41.02"	पू 073° 37' 23.71"

एफ	उ 19°07' 36.39"	पू 073°34' 51.35"
जी	उ 19°05' 02.83"	पू 073°35' 21.52"
एच	उ 19°02' 23.42"	पू 073°35' 02.65"
आई	उ 19°00' 47.98"	पू 073°33' 13.91"
जे	उ 19°00' 41.39"	पू 073°32' 50.49"
के	उ 19°00' 59.85"	पू 073°32' 18.35"
एल	उ 19°01' 50.44"	पू 073°31' 59.36"
एम	उ 19°02' 51.61"	पू 073°32' 25.53"
एन	उ 19°02' 45.30"	पू 073°30' 53.53"
ओ	उ 19°05' 04.96"	पू 073°31' 40.36"
पी	उ 19°07' 46.52"	पू 073°31' 31.50"
क्यू	उ 19°07' 40.62"	पू 073°29' 51.64"
आर	उ 19°08' 43.73"	पू 073°29' 16.63"
एस	उ 19°10' 51.88"	पू 073°30' 18.13"
टी	उ 19°10' 57.39"	पू 073°30' 45.15"
यू	उ 19°12' 04.14"	पू 073°31' 54.07"
वी	उ 19°11' 20.34"	पू 073°33' 52.01"
डब्ल्यू	उ 19°17' 35.07"	पू 073°36' 32.18"

सारणी ख : पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
01	उ 19°13' 09.2"	पू 073°40' 07.8"
02	उ 19°12' 58.3"	पू 073°38' 55.9"
03	उ 19°12' 31.1"	पू 073°38' 26.2"
04	उ 18°59' 55.4"	पू 073°35' 23.1"
05	उ 18°59' 17.8"	पू 073°36' 06.4"
06	उ 18°58' 57.4"	पू 073°35' 53.5"
07	उ 19°1' 57"	पू 073°31' 58"
08	उ 19°1' 58"	पू 073°27' 30"
09	उ 19°4' 00"	पू 073°27' 30"
10	उ 19°5' 10"	पू 073°29' 58"
11	उ 19°7' 58"	पू 073°31' 30"
12	उ 19°8' 53.20"	पू 073°28' 49.08"
13	उ 19°10' 20.24"	पू 073°30' 7.56"
14	उ 19°12' 18.65"	पू 073°32' 2.65"

15	उ 19°11' 42.00"	पू 073°33' 3.42"
16	उ 19° 12' 17.78"	पू 073°35' 5.60"
17	उ 19° 13' 48.54"	पू 073°37' 59.56"
18	उ 19° 13' 32.70"	पू 073°38' 54.64"

उपाबंध-IV

क. भू-निर्देशांको के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

बिंदु आई डी	ग्राम	अक्षांश	देशांतर	बिंदु आई डी	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
I	भिवाड़ बक .	19 14 06.19	73 40 15.85	XXI	पथराज	19 03 00.73	73 27 22.96
II	भिवाड़ी खह.	19 12 35.00	73 40 56.52	XXII	तुंगी	19 03 01.79	73 30 55.18
III	हटविज	19 12 45.61	73 39 20.73	XXIII	खांदास	19 03 56.38	73 29 50.85
IV	दोन	19 11 73.82	73 38 19.05	XXIV	नानदगांव	19 66 69.34	73 29 40.56
V	अघाने	19 10 0.50	73 37 0.49	XXV	डोंगरहवे	19 08 58.73	73 28 49.67
VI	नहावाद	19 09 44.68	73 36 33.15	XXVI	जमबुरद	19 09 45.33	73 29 08.57
VII	तिरपद	19 10 28.31	73 38 51.58	XXVII	खानिवार	19 10 26.47	73 29 45.58
VIII	ननवाड	19 09 00.78	73 38 09.47	XXVIII	सकुरली	19 11 09.86	73 29 29.66
IX	महालुंगे तरफ अम्बेगांव	19 07 0.477	73 37 0.390	XXIX	नारीवाली	19 11 15.75	73 30 33.74
X	पिम्परी	19 07 07.16	73 36 41.31	XXX	उचाल	19 12 00.99	73 31 16.02
XI	तेरूंगन	19 06 54.4	73 34 49.00	XXXI	देहरी	19 12 21.53	73 31 57.16
XII	भिवागांव	19 03 13.66	73 35 19.92	XXXII	खोपिवालि	19 12 17.87	73 32 59.40
XIII	भोमेल	19 01 08.87	73 35 19.88	XXXIII	मिलहे	19 12	73 33

						35.01	44.52
XIV	खारपद	18 59 45.36	73 35 19.91	XXXIV	उमरोली	19 12	73 35
					खह	48.21	51.80
XV	जमवरुंग	19 00 50.64	73 31 48.46	XXXV	मध	19 13	73 37
						50.77	11.03
XVI	राजाप	19 02 00.35	73 31 16.47	XXXVI	कालभांद	19 14	73 36
						33.30	12.63
XVII	टेम्भर	19 01 54.24	73 30 11.80	XXXVII	सोनावाले	19 15	73 37
						21.95	37.60
XVIII	सिंगधोल	19 01 51.54	73 29 29.91				
XIX	धोत्रे	19 01 24.86	73 28 25.20				
XX	सिलार	19 01 37.52	73 27 22.86				

ख. भू-निर्देशांको के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की

सूची

- (i) पुणे जिला के जून्नर तहसील (03 ग्राम): भिवदे बक., भिवदे खह., हटविज।
- (ii) पुणे जिला के अम्बेगांव तहसील (08 ग्राम): दोन, अघाने, नहावेड, त्रिपद, नानावाड, महालुंग तरफ अम्बेगांव, पिम्परी, तेरुंगत।
- (iii) पुणे जिला के खेद तहसील (03 ग्राम): भिवगांव, भोमेल, खरपद।
- (iv) रायगढ़ जिला के करजात तहसील (10 ग्राम): जमवरुंग, राजाप, टेम्भरे, सिंगधोल, धोतर, सिलार, पथराज, तुंगि, खांदस, नानदगांव।
- (v) ठाणे जिला के मुरबद तहसील (13 ग्राम): डोंगरहवे, जमबुरद, खनिवार, सकुरली, नारिवाली, उचाल, देहरी, खोपिवाली, मिलहे, उमरोली खह, मध, कालभांद, सोनावाले।

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O. 2682(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Bhimashankar Wildlife Sanctuary is located in Pune, Thane and Raigad Districts in the State of Maharashtra;

AND WHEREAS, the Bhimashankar Wildlife Sanctuary is notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 1045/C.R.588/ (II)/F-5, dated 16th September 1985, over an area 130.78 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for avifauna with species of birds including Indian shag, little cormorant, little egret, Indian pond heron, Asian openbill, black winged kite, brahmny kite shikra, red wattled lapwing, common sandpiper, spotted dove etc;

AND WHEREAS, the protected area has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, about 25 species of reptiles and many species of amphibian are found; while the flora of this area is represented by “8A/C2 Western sub tropical hill forests” including species like mango (*Magifera indica*), jambhul (*Schyzigium cummini*), pisa (*Actinodaphne hooker*), sisam (*Dalbergia latifolia*), anjani (*Memecyclon*), behada (*Terminalia belerica*), ain (*Terminalia tomentosa*), moha (*Madhuca indica*), palas (*Butea monsperma*), Pangara (*Erythrina variegata*), Khair (*Acacia catechu*), kakad (*Garuga pinnata*), Shisham (*Dalbergia latifolia*), tiwas (*Ougeinia ouieinensis*) etc. among trees and karwand (*Carrissa carandus*) karmati (*Grewia villosa*), dhayti (*Woodfordia fruticosa*), karvi (*Carvia callosa*), nirgudi (*Vitex negundo*), adulsa (*Adhatoda vasica*) etc. among shrubs and grasses;

AND WHEREAS, the protected area also supports important wildlife such as common leopard, Jungle cat, small Indian civet, striped hyena, barking deer, western hanuman langur, common grey mongoose etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, the forests of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion and the sanctuary has a well knit network of many streams spreading throughout the Sanctuary, almost all streams are of seasonal nature, they form Bhima River, which drains into major dam Chaskaman, whereas Ghod River, and Bubara River having major dam Dimbha Dam named as Babu Genu reservoir;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Bhimashankar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.05 kilometres to 10 kilometres around the boundary of Bhimashankar Wildlife Sanctuary, in Pune, Thane and Raigad districts in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.05 kilometres to 10 kilometres around the boundary of Bhimashankar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 80.09 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Bhimashankar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Bhimashankar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Maharashtra State Pollution Control Board,
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made Heritage Sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise Pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air Pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of Effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid Wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition waste Management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-Waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular Traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the

Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of Activities Prohibited or to be Regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	New encroachment and their regularization on forest land.	Prohibited after 13 th December, 2005.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	infrastructures.	
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	New wood based industry.	Regulated as per the applicable laws
30.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Wind mills and Turbines.	Regulated as per the applicable laws and by the monitoring committee
32.	Lease out of submergence area by irrigation department.	Regulation for farming in submergence area of Government tanks within 100 meters from the boundary of the Sanctuary.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Raigad	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of District Collector, Thane	Member;
(iii)	Chief Conservator of Forests (Wildlife), Pune	Member;
(iv)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(v)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(vi)	A representative of the the Town Planning office, Thane	Member;
(vii)	A representative of the the Town Planning office, Raigad	Member;
(viii)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
(ix)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(x)	A representative of Biodiversity Board, M. S. Nagpur	Member;
(xi)	Deputy Conservator of Forests, Pune	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests, Roha	Member;
(xiii)	Deputy Conservator of Forests, Junner	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under

paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/97/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE MAHARASHTRA

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bhiwade Bk	Junnar	197	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196
			198	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196 Private Gat No.199	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196
			199	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196 Private Gat No.200	Private Gat No.198	RF.Gat No.196
			200	RF.Gat No.196	Private Gat No.202, 201	RF.Gat No.196	Private Gat No.199
			202	RF.Gat No.196	Private Gat No.203	Private Gat No.201	Private Gat No.200
			203	RF.Gat No.196	Private Gat No.204	Private Gat No.201	Private Gat No.202
			204	RF.Gat No.196	Private Gat No.205	Private Gat No.201	Private Gat No.199
			205	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196	Private Gat No.201	Private Gat No.203
2.	Hatvij.	Junnar	237	RF.Gat No.236	RF.Gat No.236	Village Boundary of Don	Private Gat No.204
			238	RF.Gat No.236	Private Gat No.237	Village Boundary of Don	Private Gat No.238
			239	RF.Gat No.236	Private Gat No.238	Village Boundary of	Private Gat No.239

			240	RF.Gat No.236	Private Gat No.239	Don	RF.Gat No.236
						Village Boundary of Don	
3.	Don	Ambegaon	57	Private Gat No.60	Private Gat No.64,65,66	RF.Gat No.56	Private Gat No.58,59
			58	Private Gat No.60	Private Gat No.57, RF.Gat No.56	RF.Gat No.8 & Village Boundary of Aghane	Village Boundary of Pimpargane
			59	RF.Gat No.61 & Private Gat No.60	Private Gat No.60,58	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.61
			60	RF.Gat No.61	Private Gat No.62,63,64	Private Gat No.57,59,58	RF.Gat No.61
4.	Aghane	Ambegaon	17	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.8	RF.Gat No.5 & Private Gat No.10	RF.Gat No.5 & Village Boundary of Pimpargane
			71	Village Boundary of Pimpargane	Private Gat No.72	Private Gat No.36, 70	Private Gat No.69, RF.Gat No.36
			72	Village Boundary of Pimpargane	Private Gat No.73,74	Private Gat No.36	Private Gat No.71
			73	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.5, Private Gat No.14	Private Gat No.74	Private Gat No.72
5.	Nhaved	Ambegaon	160	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.161	RF.Gat No.161	Private Gat No.159
			159	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.160	Private Gat No.158	RF.Gat No.155
			154	Private Gat No.156	Private Gat No.145, 152, 153	Village Boundary of Ahupe	RF.Gat No.155
			145	Private Gat No.156 & RF.Gat No.161	Private Gat No.144, 143.	Private Gat No.146, 147	Private Gat No.154, 152, 153.
			143	RF.Gat No.161	RF.Gat No.161	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
			144	RF.Gat No.161	Private Gat No.143	Private Gat No.145	Private Gat No.145
			152	Private Gat No.145	Private Gat No.146, 151.	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.153
			153	Private Gat No.145	Private Gat No.152	Village Boundary of Ahupe	Village Boundary of Ahupe & Private Gat No.154
			156	Private Gat No.158 & RF.Gat No.161	RF.Gat No.161	Private Gat No.144, 145, 154.	RF.Gat No.155 & Private Gat No.157
			157	Private Gat No.158	Private Gat No.158, 156	RF.Gat No.155	RF.Gat No.155
			158	Private Gat	RF.Gat No.161	Private Gat	RF.Gat No.155

				No.159		No.146, 145	& Private Gat No.157
			146	Private Gat No.145	Private Gat No.147, 148, 149.	Private Gat No.150, 151.	Private Gat No.152
			147	Private Gat No.145	Private Gat No.143	Private Gat No.148	Private Gat No.146

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
			148	Private Gat No.147	Private Gat No.143	Private Gat No.149	Private Gat No.146
			106	Private Gat No.107	Private Gat No.107	Private Gat No.107	Private Gat No.107
			107	RF.Gat No.161 & Private Gat No.108	RF.Gat No.105	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Ahupe & Village Boundary of Sakeri
			74	Private Gat No.101, 75	Private Gat No.75 & RF.Gat No.73	Village Boundary of Sakeri	RF.Gat No.105
			47	Private Gat No.41	Private Gat No.43, 44, 45, 46 & RF.Gat No.73	RF.Gat No.73 & Private Gat No.68	Private Gat No.48, 55, 56, 57, 59.
			46	Private Gat No.45	Village Boundary of Patan	RF.Gat No.73	Private Gat No.47
			45	Private Gat No.44	Village Boundary of Patan	Private Gat No.46	Private Gat No.47
			43	Private Gat No.41	Village Boundary of Patan	Private Gat No.44	Private Gat No.47
			41	Private Gat No.34	Village Boundary of Patan	Private Gat No.43	Private Gat No.48
			34	Private Gat No.35	Private Gat No.32, 33	Village Boundary of Patan	Private Gat No.39, 41.
			33	Private Gat No.27	Village Boundary of Patan	Private Gat No.34	Private Gat No.32
			27	Private Gat No.208, 209.	Village Boundary of Patan	Private Gat No.33	Private Gat No.32, 26, 28.
			208	Private Gat No.207	Village Boundary of Patan	Private Gat No.27	Private Gat No.209, 210, 211
			209	Private Gat No.210	Private Gat No.208	Private Gat No.27	Private Gat No.26
			210	Private Gat No.211	Private Gat No.208	Private Gat No.209	Private Gat No.213
			207	Private Gat No.206	Village Boundary of Patan	Private Gat No.208	Private Gat No.211
			206	Private Gat	Village	Private Gat	Private Gat

				No.204, 205	Boundary of Patan	No.207	No.211, 203
			205	Private Gat No.204	Village Boundary of Patan	Private Gat No.206	Private Gat No.204, 206
			204	Private Gat No.200	Village Boundary of Patan	Private Gat No.205, 206.	Private Gat No.201, 202, 203, 211.
			200	RF.Gat No.191	Village Boundary of Patan	Private Gat No.204	Private Gat No.201
			198	Private Gat No.197	Village Boundary of Patan	RF.Gat No.191	RF.Gat No.191
			197	Private Gat No.196, 195	Village Boundary of Patan	Private Gat No.198	RF.Gat No.191
			196	Private Gat No.193, 194	Private Gat No.195 & Village Boundary of Patan	Private Gat No.197	Private Gat No.192
			195	RF.Gat No.191	Village Boundary of Patan	Private Gat No.197	Private Gat No.196, 194,
			70	RF.Gat No.73	RF.Gat No.73	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.71
			71	RF.Gat No.73	Private Gat No.70	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.72
			72	RF.Gat No.73	Private Gat No.71	Village Boundary of Sakeri	RF.Gat No.73
			162	Village Boundary of Aghane	Private Gat No.163	RF.Gat No.161	RF.Gat No.161
			149	Private Gat No.148	Private Gat No.143	Private Gat No.150	Private Gat No.146, 151.
			150	Private Gat No.149	Private Gat No.143	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.151.
			199	Private Gat No.198	Village Boundary of Patan	Private Gat No.200	RF.Gat No.191
6.	Tirpad	Ambegaon	36	Private Gat No.37	RF.Gat No.41.	Private Gat No.33	RF.Gat No.41.
			37	Private Gat No.38	RF.Gat No.41.	Private Gat No.36	RF.Gat No.41.
			38	Private Gat No.39	RF.Gat No.41.	Private Gat No.37	RF.Gat No.41.
			39	Private Gat No.40	RF.Gat No.41.	Private Gat No.38	RF.Gat No.41.
			40	RF.Gat No.41.	RF.Gat No.41.	Private Gat No.39	RF.Gat No.41.

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Nanawade	Ambegaon	257	Private Gat No.258	RF.Gat No.262	Private Gat No.256	Village Boundary of Patan
			258	Private Gat No.261	RF.Gat No.262	Private Gat No.257	Village Boundary of Patan
			259	Village Boundary of Tirpad	Village Boundary of Tirpad	Private Gat No.260	Village Boundary of Patan
			260	Village Boundary of Tirpad	Village Boundary of Tirpad	Private Gat No.261, 258.	Village Boundary of Patan
			261	Private Gat No.260	Village Boundary of Tirpad	Private Gat No.258 & RF.Gat No.262	Private Gat No.257
			251	Private Gat No.250	Private Gat No.248, 247.	Private Gat No.232	Private Gat No.252, 253, 254.
			252	Private Gat No.253	Private Gat No.251	Private Gat No.232	Village Boundary of Patan
			253	Private Gat No.254	Private Gat No.250, 251.	Private Gat No.252	Village Boundary of Patan
			254	Private Gat No.255	Private Gat No.250	Private Gat No.253	Village Boundary of Patan
			255	Private Gat No.256	RF.Gat No.162	Private Gat No.268, 269, 249, 250, 254.	Village Boundary of Patan
			256	Private Gat No.257	RF.Gat No.162	Private Gat No.255	Village Boundary of Patan
			229	Private Gat No.230	Private Gat No.233	Private Gat No.228	Village Boundary of Patan
			230	Private Gat No.231	Private Gat No.233	Private Gat No.229	Village Boundary of Patan
			231	Private Gat No.232	Private Gat No.233	Private Gat No.230	Village Boundary of Patan
			232	Private Gat No.252, 251	Private Gat No.233, 247.	Private Gat No.231	Village Boundary of Patan
			233	Private Gat No.247.	Private Gat No.237, 238, 241, 235.	Private Gat No.227	Private Gat No.228, 229, 230, 231, 232.
			110	RF.Gat No.108	Private Gat No.109	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.111
			111	RF.Gat No.108	Private Gat No.110	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Sakeri & Village Boundary of

							Patan
			112	Private Gat No.113 & Village Boundary of Patan	Private Gat No.113	RF.Gat No.108	Village Boundary of Patan
			113	Private Gat No.117	Private Gat No.115, 114.	RF.Gat No.108	Private Gat No.112
			114	Private Gat No.115	Private Gat No.107	RF.Gat No.108	Private Gat No.113
			115	Private Gat No.117	Private Gat No.116, 107	Private Gat No.114	Private Gat No.113, 117.
			116	Private Gat No.117	Private Gat No.107	Private Gat No.115	Private Gat No.115
			117	RF.Gat No.125 & Village Boundary of Patan	Private Gat No.118 & RF.Gat No.125	Private Gat No.106, 107, 115, 116, 112, 113.	Village Boundary of Patan
			129	Private Gat No.130	Private Gat No.128, 127.	RF.Gat No.125	Village Boundary of Patan
			130	Private Gat No.138	Private Gat No.131, 128	Private Gat No.129	Village Boundary of Patan
			131	Private Gat No.138	Private Gat No.137, 136, 132.	Private Gat No.128	Private Gat No.130
			137	Private Gat No.139	Private Gat No.141, 142, 136.	Private Gat No.131, 132.	Private Gat No.131
			138	Private Gat No.224	Private Gat No.139.	Private Gat No.131, 137.	Village Boundary of Patan
			139	Private Gat No.224	Private Gat No.140, 141.	Private Gat No.137.	Private Gat No.138
			224	Private Gat No.225, 226.	RF.Gat No.220 & Private Gat No.222	Private Gat No.138, 139, 140.	Village Boundary of Patan
			225	Private Gat No.227	Private Gat No.226	Private Gat No.224	Village Boundary of Patan
			226	Private Gat No.227	Private Gat No.227	Private Gat No.224	Private Gat No.225
			227	Private Gat No.233	Private Gat No.235, 234 & RF.Gat No.220	Private Gat No.224, 225, 226.	Private Gat No.224 & Village Boundary of Patan

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
			228	Private Gat No.229	Private Gat No.233	Private Gat No.227	Village Boundary of Patan
			109	RF.Gat No.108	Village Boundary of Mahalunge Tarf Ambegaon	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.110.

8	Mahalunge Tarf Ambegaon	Ambegaon	21	Private Gat No.26	Private Gat No.20, 30	Private Gat No.22	Private Gat No.24, 25
			22	Private Gat No.21, 20.	Private Gat No.19	Private Gat No.23	Private Gat No.24
			23	Private Gat No.22	Private Gat No.19	Village Boundary of Sakeri & Village Boundary of Phalode	Private Gat No.24
			24	Private Gat No.25	Private Gat No.21, 22, 23.	Village Boundary of Phalode	Village Boundary of Sakeri
			25	Private Gat No.26	Private Gat No.21	Private Gat No.24	Village Boundary of Sakeri
			26	Private Gat No.28	Private Gat No.28	Private Gat No.21, 25.	Village Boundary of Sakeri & Private Gat No.27
			27	Private Gat No.28	Private Gat No.26	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Nanawade
9	Pimpri	Ambegaon	106	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.108	RF.Gat No.105	RF.Gat No.105
			107	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.108	Private Gat No.106	Private Gat No.106
			108	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.109	RF.Gat No.105	Private Gat No.106, 107
			109	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.110	RF.Gat No.105	Private Gat No.108
			110	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.111	RF.Gat No.105	Private Gat No.109
			111	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.112	RF.Gat No.105	Private Gat No.110
			112	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.113, 114.	RF.Gat No.105	Private Gat No.111
			113	Private Gat No.114, 115, 118.	Private Gat No.119	Private Gat No.52	RF.Gat No.105 & Private Gat No.112
			114	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.117	Private Gat No.113	Private Gat No.112
			115	Private Gat No.114	Private Gat No.116, 117	Private Gat No.118	Private Gat No.113
			116	Private Gat No.117	Private Gat No.117	Private Gat No.115	Private Gat No.117
			117	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.119	Private Gat No.118, 115	Private Gat No.114
			118	Private Gat	Private Gat	Private Gat	Private Gat

				No.117	No.119	No.113	No.115
			119	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.120	Private Gat No.52	Private Gat No.113, 118, 117.
			120	Private Gat No.113	Private Gat No.121	Private Gat No.52	Private Gat No.119
			121	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.42 & RF.Gat No.122	Private Gat No.46, 47, 45, 49, 50.	Private Gat No.120, 52.
			123	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.124, 129	RF.Gat No.122	Village Boundary of Sakeri
			124	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.126, 127	Private Gat No.125, 129.	Private Gat No.123
			125	Private Gat No.124	Private Gat No.127	Private Gat No.129	Private Gat No.129
			126	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.128	Private Gat No.127	Private Gat No.124
			127	Private Gat No.126	Private Gat No.128	Private Gat No.125	Private Gat No.124
			128	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.130	Private Gat No.129	Private Gat No.126, 127.

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
			133	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.121	Private Gat No.120	Private Gat No.119
			101	Private Gat No.102	RF.Gat No.100	Village Boundary of Terungan	Village Boundary of Kondhaval
			102	Village Boundary of Sakeri	RF.Gat No.105, 100	Private Gat No.101	Village Boundary of Kondhaval
			103	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.104	RF.Gat No.105	Village Boundary of Kondhaval
			104	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.105	Private Gat No.103
			1	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.3	Private Gat No.2	Gaothan & Private Gat No.130
			2	Private Gat No.1	Private Gat No.3, 4	Private Gat No.4	Gaothan
			3	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.4	Private Gat No.1, 2.
			5	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Phalode	Private Gat No.6, 7.	Private Gat No.4.
10	Terungan	Ambegaon	27	Private Gat No.28	Private Gat No.26	Village Boundary of Rajpur & Village	Village Boundary of Dhagewadi

						Boundary of Bhivegaon	
			28	RF.Gat No.31	Private Gat No.26	Private Gat No.27	Village Boundary of Dhagewadi
			30	RF.Gat No.31	RF.Gat No.31	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.29
			29	RF.Gat No.31	Private Gat No.30	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.32 & RF.Gat No.31
			32	Private Gat No.35	Private Gat No.33 & RF.Gat No.31	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.36
			33	RF.Gat No.31	Private Gat No.34	RF.Gat No.31 & Private Gat No.32	Private Gat No.35
			36	Private Gat No.37	Private Gat No.35 & RF.Gat No.31	Private Gat No.32	Village Boundary of Dhagewadi
			37	Private Gat No.39	Private Gat No.38	Private Gat No.36	Private Gat No.40
			40	Private Gat No.41	Private Gat No.39, 37.	Village Boundary of Dhagewadi	Village Boundary of Dhagewadi
			41	Private Gat No.42	Private Gat No.39	Private Gat No.40	Village Boundary of Dhagewadi & Village Boundary of Kondhaval
			42	Private Gat No.44, 45.	Private Gat No.43	Private Gat No.39, 41	Village Boundary of Dhagewadi
			45	Private Gat No.46	Private Gat No.47, 44	Private Gat No.42	Village Boundary of Dhagewadi
			46	Private Gat No.49	Private Gat No.47, 48.	Private Gat No.44, 45	Village Boundary of Dhagewadi
			49	Private Gat No.52, 51.	Private Gat No.48, 50	Private Gat No.46	Village Boundary of Dhagewadi
			52	RF.Gat No.31	Private Gat No.51	Private Gat No.49	Village Boundary of Dhagewadi
11	Bhivegaon	Khed	60	RF.Gat No.66	Private Gat No.61	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
			61	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66 & Private Gat No.60
			62	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
			33	RF.Gat No.66	Private Gat No.34	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
			34	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	Private Gat No.33
			35	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
			37	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.38	RF.Gat No.66 & Private Gat No.36	RF.Gat No.66

			38	Village Boundary of Dhagewadi & Village Boundary of Terungan	Private Gat No.41	RF.Gat No.66 & Private Gat No.39, 40.	Private Gat No.37
			41	Village Boundary of Terungan	Private Gat No.42	RF.Gat No.66 & Private Gat No.40.	Private Gat No.38
			32	RF.Gat No.66	Private Gat No.31	Private Gat No.154, 156.	Village Boundary of Bhorgiri

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
			154	Private Gat No.32	Private Gat No.153, 155, 156.	Private Gat No.152	Village Boundary of Bhorgiri
			152	Private Gat No.154	Private Gat No.147, 149, 151, 153.	Private Gat No.145, 143, 142.	Village Boundary of Bhorgiri
			142	Private Gat No.152	Private Gat No.143	Private Gat No.141	Village Boundary of Bhorgiri
			141	Private Gat No.142	Private Gat No.143	Private Gat No.140	Village Boundary of Bhorgiri
			140	Private Gat No.141	Private Gat No.143	Private Gat No.135, 136, 137, 138, 139.	Village Boundary of Bhorgiri
			135	Private Gat No.140	Private Gat No.134	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.136
			136	Private Gat No.140	Private Gat No.135	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.137
			137	Private Gat No.140	Private Gat No.136	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.138
			138	Private Gat No.140	Private Gat No.137	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.139
			139	Private Gat No.140	Private Gat No.138	Village Boundary of Bhorgiri	Village Boundary of Bhorgiri
			134	Private Gat No.143	Private Gat No.133	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.135
			133	Private Gat No.118, 119.	Private Gat No.120	Private Gat No.130, 132.	Village Boundary of Bhorgiri & Village Boundary of Bhomale
			143	Private Gat No.152.	Private Gat No.144, 145.	Private Gat No.134	Private Gat No.140, 141, 142.
12.	Bhomale	Khed	50	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	Village	RF.Gat No.53

						Boundary of Kharpud	
			51	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	Village Boundary of Kharpud	RF.Gat No.53
			52	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53
			119	Private Gat No.120	RF.Gat No.91	Village Boundary of Bhorgiri & RF.Gat No.91	Village Boundary of Bhorgiri
			120	Private Gat No.121	RF.Gat No.91	Private Gat No.119	RF.Gat No.124 & Village Boundary of Bhorgiri
			121	Private Gat No.122	RF.Gat No.91	Private Gat No.120	RF.Gat No.124
			122	Private Gat No.123	RF.Gat No.91	Private Gat No.121	RF.Gat No.124
			123	Private Gat No.125	Private Gat No.127	Private Gat No.123 & RF.Gat No.91	RF.Gat No.124
			129	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91
			149	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91
			125	Village Boundary of Bhivegaon	Private Gat No.127	Private Gat No.123	RF.Gat No.124
			126	Village Boundary of Bhivegaon	Private Gat No.125	Private Gat No.125	Private Gat No.125
13.	Kharpud	Khed	278	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	Private Gat No.279
			279	RF.Gat No.214	Private Gat No.279 & RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214
			280	Private Gat No.281	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214
			281	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	Private Gat No.280	RF.Gat No.214
			282	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214
14	Dongarnhave	Murbad	230 Pt.	RF. 221, 205	RF. 221, 205	Village Boundary of Vahile	RF.205
			204	RF. 221, 205	Private S. No.233	Private S. No.233	RF.221, 205
			203 Pt.	Private S. No.233	Private S. No.233	Private S. No.233	Private S. No.233
			201 Pt.	Private S. No.202	Private S. No.202	Private S. No.201 pt.	Private S. No.202
			199 Pt.	Protected Forest S.No.178	Protected Forest S.No.1178	Private S. No.199 pt.	Private S. No.202
			195 Pt.	Protected Forest S.No.178	Protected Forest S.No.178	Private S. No.193	Protected Forest S.No.178
			194 Pt.	Protected Forest S.No.178	Protected Forest S.No.177	Private S. No.193	Private S. No.193
			192	Protected	Protected Forest	Private S.	Private S.

			Pt.	Forest S.No.176	S.No.175	No.188	No.193
--	--	--	-----	--------------------	----------	--------	--------


Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North 5	East 6	South 7	West 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			193 Pt.	Protected Forest S.No.178	Private S. No.192	Private S. No.188	Private S. No.193 pt
			188 Pt.	Private S. No.177	Protected Forest S.No.174	Private S. No.185	Private S. No.188 pt
			181	Protected Forest S.No.182	Protected Forest S.No.182	Protected Forest S.No.182	RF.205, 221.
			180	RF..221, 205	Village Boundary of Sidhagad	Protected Forest S.No.182	RF.205, 221
			227	Protected Forest S.No.206 C.	RF.S.No.206 B	Private S. No.156	Private S. No.156
			228	RF. 206 B.	RF.S.No.206 B	Protected Forest S.No.206 C.	Private S. No.153
			225 Pt.	Private S. No.83	Protected Forest S.No.215	Private S. No.134	Private S. No.84
			224 Pt.	Private S. No.137	Private S. No.138	Private S. No.224 pt.	Private S. No.128
			138 Pt.	Private S. No.135		RF S.No.223, 206 B.	Private S. No.224
			134 Pt.	Protected Forest S.No.215	RF.S.No.223 , 206 B.	Private S. No.135	Private S. No.134 pt
			83 Pt.	Private S. No.82.	RF.S.No.223 , 206 B.	Protected Forest S.No.215	Private S. No.83 pt.
15	Jamburde	Murbad	113	Private S. No.120	Private S. No.120	Private S. No.120	Private S. No.120
			4	River	RF.123	RF.123	Private S. No.5
			5	River	Private S. No.4	RF.123 & Private S. No.6.	Private S. No.6
			6	River & Private S. No.5	Private S. No.5 & RF.121	Private S. No.7 & RF.123	Private S. No.7,8
			7	River & Private S. No.6	Private S. No.6	Private S. No.6	Private S. No.8
			8 Pt.	River	Private S. No.7 & RF.121	Village Boundary of Dongarnhve	Private S. No.8 pt.
16	Khanivare	Murbad	36	Private S. No.35 & Protected Forest S.No.98	Protected Forest S.No.98	Protected Forest S.No.97	Private S. No.97
			30 Pt.	Private S. No.28 pt	Private S. No.28 pt	Private S. No.28 pt.	Private S. No. 28 pt.
			28 Pt.	Private S. No.28 pt	Private S. No.26, 27	Protected Forest S.No.98 & Private S. No.30pt.	Protected Forest S.No.96 & Private S. No.28 pt, 29, 30

			26 Pt.	Private S. No.24, 25	Private S. No.27	Private S. No.28	Private S. No.28 pt.
			27 Pt.	Private S. No.27 pt.	RF.100.	RF.100.	Private S. No.26, 28
17	Narivali	Murbad	136 Pt.	Private S. No.36pt.	Protected Forest S.No.146	River	River
			147	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152
			148	Protected Forest S.No.152	Private S. No.149	Private S. No.149	Protected Forest S.No.152
			149	Private S. No.148	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152
			48	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152
18	Uchale	Murbad	142	Protected Forest S.No.170	Protected Forest S.No.170	Village Boundary of Narivali	Village Boundary of Narivali
			140 Pt.	Private S. No.139	Protected Forest S.No.170	Protected Forest S.No.170	Private S. No.140 pt.
			132 Pt.	Private S. No.131	RF.S.No.175	Protected Forest S.No.174	Private S. No.137
			131 Pt.	Private S. No.130	RF.S.No.175 & Protected Forest S.No.173	Private S. No.132	Private S. No.131 pt.
			129 Pt.	Private S. No.128	RF.S.No.175 & Protected Forest S.No.172	Private S. No.130	Private S. No.129 pt.
			130 Pt.	Private S. No.129	Private S. No.129	Private S. No.131 & Protected Forest S.No.173	Private S. No.130 pt.

Sr.No.	Village	Taluka	Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dehari	Murbad	83	Private S. No.3	Protected Forest S.No.88	RF.89	Village Boundary of Uchale
			81 Pt.	Private S. No.81 pt.	Village Boundary of Khopovali	Protected Forest S.No.88	Protected Forest S.No.88
			3 Pt.	Private S. No.3 pt.	Protected Forest S.No.88	Protected Forest S.No.88 & Private S. No.83	Village Boundary of Uchale & Private S. No.83
20	Sakurli	Murbad	24 Pt.	24 Pt.	Village Boundary of Narivali	Village Boundary of Khanivari	24 Pt.
21	Khandas	Karjat		RF.410	RF.410	RF.410	RF.410


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY

Point Id	Latitude	Longitude
A	N 19° 12' 35.80''	E 073° 36' 45.85''
B	N 19° 12' 54.35''	E 073° 37' 24.17''

C	N 19° 08' 28.17''	E 073° 36' 32.33''
D	N 19° 10' 28.96''	E 073° 32' 53.21''
E	N 19° 07' 41.02''	E 073° 37' 23.71''
F	N 19° 07' 36.39''	E 073° 34' 51.35''
G	N 19° 05' 02.83''	E 073° 35' 21.52''
H	N 19° 02' 23.42''	E 073° 35' 02.65''
I	N 19° 00' 47.98''	E 073° 33' 13.91''
J	N 19° 00' 41.39''	E 073° 32' 50.49''
K	N 19° 00' 59.85''	E 073° 32' 18.35''
L	N 19° 01' 50.44''	E 073° 31' 59.36''
M	N 19° 02' 51.61''	E 073° 32' 25.53''
N	N 19° 02' 45.30''	E 073° 30' 53.53''
O	N 19° 05' 04.96''	E 073° 31' 40.36''
P	N 19° 07' 46.52''	E 073° 31' 31.50''
Q	N 19° 07' 40.62''	E 073° 29' 51.64''
R	N 19° 08' 43.73''	E 073° 29' 16.63''
S	N 19° 10' 51.88''	E 073° 30' 18.13''
T	N 19° 10' 57.39''	E 073° 30' 45.15''
U	N 19° 12' 04.14''	E 073° 31' 54.07''
V	N 19° 11' 20.34''	E 073° 33' 52.01''
W	N 19° 17' 35.07''	E 073° 36' 32.18''

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point Id	Latitude	Longitude
01	N 19° 13' 09.2''	E 073° 40' 07.8''
02	N 19° 12' 58.3''	E 073° 38' 55.9''
03	N 19° 12' 31.1''	E 073° 38' 26.2''
04	N 18° 59' 55.4''	E 073° 35' 23.1''
05	N 18° 59' 17.8''	E 073° 36' 06.4''
06	N 18° 58' 57.4''	E 073° 35' 53.5''
07	N 19° 1' 57''	E 073° 31' 58''
08	N 19° 1' 58''	E 073° 27' 30''
09	N 19° 4' 00''	E 073° 27' 30''
10	N 19° 5' 10''	E 073° 29' 58''
11	N 19° 7' 58''	E 073° 31' 30''
12	N 19° 8' 53.20''	E 073° 28' 49.08''
13	N 19° 10' 20.24''	E 073° 30' 7.56''
14	N 19° 12' 18.65''	E 073° 32' 2.65''

15	N 19°11' 42.00''	E 073° 33' 3.42''
16	N 19° 12' 17.78''	E 073° 35' 5.60''
17	N 19° 13' 48.54''	E 073° 37' 59.56''
18	N 19° 13' 32.70''	E 073° 38' 54.64''

ANNEXURE-IV

A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER THE BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Point id	Village	Latitude	Longitude	Point id	Village	Latitude	Longitude
I	Bhiwade Bk.	19 14 06.19	73 40 15.85	XXI	Pathraj	19 03 00.73	73 27 22.96
II	Bhiwade kh.	19 12 35.00	73 40 56.52	XXII	Tungi	19 03 01.79	73 30 55.18
III	Hatvij	19 12 45.61	73 39 20.73	XXIII	Khandas	19 03 56.38	73 29 50.85
IV	Don	19 11 73.82	73 38 19.05	XXIV	Nandgaon	19 66 69.34	73 29 40.56
V	Aghane	19 10 0.50	73 37 0.49	XXV	Dongarnhave	19 08 58.73	73 28 49.67
VI	Nhaved	19 09 44.68	73 36 33.15	XXVI	Jamburde	19 09 45.33	73 29 08.57
VII	Tirpad	19 10 28.31	73 38 51.58	XXVII	Khanivare	19 10 26.47	73 29 45.58
VIII	Nanawade	19 09 00.78	73 38 09.47	XXVIII	Sakurli	19 11 09.86	73 29 29.66
IX	Mahalunge Tarfe Ambegaon	19 07 0.477	73 37 0.390	XXIX	Narivali	19 11 15.75	73 30 33.74
X	Pimpri	19 07 07.16	73 36 41.31	XXX	Uchale	19 12 00.99	73 31 16.02
XI	Terungan	19 06 54.4	73 34 49.00	XXXI	Dehari	19 12 21.53	73 31 57.16
XII	Bhivegaon	19 03 13.66	73 35 19.92	XXXII	Khopivali	19 12 17.87	73 32 59.40
XIII	Bhomale	19 01 08.87	73 35 19.88	XXXIII	Milhe	19 12 35.01	73 33 44.52
XIV	Kharpud	18 59 45.36	73 35 19.91	XXXIV	Umroli Kh.	19 12 48.21	73 35 51.80
XV	Jambrung	19 00 50.64	73 31 48.46	XXXV	Madh	19 13 50.77	73 37 11.03
XVI	Rajape	19 02 00.35	73 31 16.47	XXXVI	Kalbhand	19 14 33.30	73 36 12.63
XVII	Tembhare	19 01 54.24	73 30 11.80	XXXVII	Sonawale	19 15 21.95	73 37 37.60
XVIII	Singdhol	19 01 51.54	73 29 29.91				
XIX	Dhotre	19 01 24.86	73 28 25.20				
XX	Shilar	19 01 37.52	73 27 22.86				

B. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

- (i) **Junnar Tahsil of Pune District (03 villages):** Bhiwade Bk., Bhiwade kh., Hatvij.
- (ii) **Ambegaon Tahsil of Pune District (08 villages):** Don, Aghane, Nhaved, Tirpad, Nanawade, Mahalunge Tarfe Ambegaon, Pimpri, Terungan.
- (iii) **Khed Tahsil of Pune District (03 villages):** Bhivegaon, Bhomale, Kharpud.
- (iv) **Karjat Tahsil of Raigad District (10 villages):** Jambrung, Rajape, Tembhare, Singdhol, Dhotre, Shilar, Pathraj, Tungi, Khandas, Nandgaon.
- (v) **Murbad Tahsil of Thane District (13 villages):** Dongarnhave, Jamburde, Khanivare, Sakurli, Narivali, Uchale, Dehari, Khopivali, Milhe, Umroli Kh., Madh, Kalbhand, Sonawale.

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.